भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1056
दिनांक 08 फरवरी, 2024

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार

†1056. श्री मनीश तिवारी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के आकार का ब्यौरा क्या है और आपातकालीन स्थिति में हमारे पेट्रोलियम भंडार हमारी तेल की आवश्यकता को कितने दिनों तक पूरा कर सकते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी स्थिति में जबकि भारत ने अपने रणनीतिक भंडारों को कमोबेश समाप्त कर दिया है, हमारी तेल आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोई आकस्मिक योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के सदस्यों के पास गत वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर कच्चा तेल और/या उत्पाद भंडार है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत इस मॉडल का अनुसरण कर रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) भारत के रणनीतिक उत्पादन भंडार परियोजना के द्वितीय चरण की क्या स्थिति है;

(च) क्या चीनी सरकार से संबद्ध कुछ चीनी गैस कंपनियों ने उक्त परियोजना में भागीदारी करने में रुचि दिखाई है; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें उक्त परियोजना में संभावित भागीदार मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): भारत सरकार (जीओआई) ने विशेष प्रयोजन से बनाई गई कंपनी, नामत: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) के माध्यम से तीन स्थलों नामत: (i)विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), (ii)मंगलुरू (1.5 एमएमटी) और (iii)पादुर (2.5 एमएमटी) क्षमता सहित कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कच्चे तेल की क्षमता वाली कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाओं की स्थापना की है। इनसे कच्चे तेल की लगभग 9.5 दिनों की जरूरत के लिए कच्चा तेल उपलब्ध करवाया जाएगा।

इसके अलावा देश में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की 64.5 दिनों के लिए कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की सुविधाएं हैं। अत: कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए कुल मौजूदा राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों की है। भारत सरकार इस भंडारण को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित सतत आधार पर विभिन्न विकल्प तलाश करती है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता के मानदंड में यह कहा गया है कि सदस्य देशों को पिछले वर्ष के 90 दिनों के निवल आयात के समतुल्य कच्चे तेल और/अथवा ऐसे उत्पाद भंडार को बनाए रखना होगा जो सरकार को तत्काल उपलब्ध हो।

चूंकि भारत आईईए का एसोसिएट सदस्य है अत: यह ऐसा भंडार बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, देश द्वारा भंडार क्षमता में वृद्धि करना एक चल रही प्रक्रिया है।

(ड.) जुलाई, 2021 में भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर ओडिशा में चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक में पादुर (2.5एमएमटी) में कुल 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता वाली 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था। इन दोनों स्थलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आबंटन अभी किया जाना है।

(च) और (छ) अक्तूबर, 2018 में सिंगापुर में हुए रोड शो के दौरान चीन की प्रमुख तेल कंपनी पेट्रो चायना उन वैश्विक कंपनियों में से एक थी जिन्होंने वाणिज्यिक-सह- कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं के चरण-2 के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध में भागीदारी में रुचि दर्शायी थी। इस संबंध में अभी तक बोलियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

*****